न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 07/2021 **G.C.M.S. No. 2021/16** **दर्ज दिनांक : 15.01.2021**

अपीलार्थी:

1. मृत जीवनसिंह पुत्र पूनमसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी रोहट के विधिक वारिसानः—
   1/1 ललितकिशोर पुत्र जीवनसिंह
   1/2 रूपकंवर बेवा जीवनसिंह, जातिगण रावणा राजपूत, निवासी रोहट, तहसील रोहट व जिला पाली।
2. जोगसिंह पुत्र पूनमसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी रोहट, तहसील रोहट व जिला पाली।
3. गोरण पुत्र हिम्मता
4. देदा पुत्र हिम्मता
5. मूला पुत्र हिम्मता
6. चतरा पुत्र हिम्मता
7. खीमा पुत्र हिम्मता
8. तुलसाराम पुत्र उदाराम
9. कानाराम पुत्र केवलराम
10. दलाराम पुत्र केवलराम, जातिगण पीटल, निवासीगण निम्बली पटेलान, तहसील रोहट व जिला पाली।
11. मृत वेना पुत्र लच्छा, जाति पीटल, निवासी निम्बली पटेलान के विधिक वारिसानः—
    11/1 सुखाराम पुत्र वेना
    11/2 दलाराम पुत्र वेना
    11/3 मीठाराम पुत्र वेना
    11/4 चुतराराम पुत्र वेना
    11/5 पुरखाराम पुत्र वेना
    11/6 बाबुलाल पुत्र वेना, जातिगण पीटल, निवासीगण निम्बली पटेलान, हाल निवासी सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, राजस्थान।
12. हेमाराम पुत्र सालगराम, जाति पटेल, निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।
13. भरत पटेल पुत्र कानाराम, जाति पटेल, निवासी निम्बली पटेलान, तहसील रोहट, जिला पाली।
14. अंतरकंवर बेवा मगसिंह
15. सुमित्रा पुत्री मगसिंह
16. अचलसिंह पुत्र मुकनसिंह
17. पूनमसिंह पुत्र मुकनसिंह, जाति पुरोहित, निवासी निम्बली पटेलान, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. विक्रम विश्नोई पुत्र रामलाल, जाति विश्नोई, निवासी निम्बली पटेलान, तहसील रोहट, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

2. नारायण पुत्र हेमाराम
3. अशोक पुत्र हेमाराम
4. बुद्धाराम पुत्र हेमाराम, जातिगण पीटल, निवासीगण निम्बली पटेलान, तहसील रोहट, जिला पाली।
5. भैरूसिंह पुत्र मगसिंह, जाति पुरोहित, निवासी निम्बली पटेलान, तहसील रोहट, जिला पाली।
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट, जिला पाली।
7. एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक, शाखा रोहट जरिये शाखा प्रबंधक।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2019 बअनवान विक्रम विश्नोई बनाम जीवनसिंह के का.मु. ललितकिशोर वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.10.2020 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 28.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2019 बअनवान विक्रम विश्नोई बनाम जीवनसिंह के का.मु. ललितकिशोर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 की ओर से अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 02 लगायत 07 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. 1955 के तहत मौजा रोहट, तहसील–रोहट में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 311 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 314 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 316 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 318 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन धोरा खसरा नम्बर 321 रकबा 63 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 87 बीघा 09 बिस्वा सालाना लगान 309.47/– रूपये जोकि रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 तथा अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 02 लगायत 05 की शामलाती कब्जा–काश्त की सहखातेदारी भूमि है, के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि विधिविरूद्ध है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा बिना विधिवत अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना विधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रावधानों की पालना किये, बिना तनकीयात कायम किये, बिना साक्ष्य लेखबद्ध किये ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। साथ ही बिना तनकियात कायम किये, बिना साक्ष्य लेखबद्ध किये विधिनुसार अदालत मातहत को निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने की कोई अधिकारिता नहीं थीं। क्योंकि दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकियात कायम कर बाद साक्ष्य प्रत्येक तनकी पर विधिवत फाईन्डिंग देते हुये ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील के पूर्व जब कोई दस्तावेजी ही साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड दस्तावेजात साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य भी नहीं थें एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 की ओर से अदालत मातेहत के समक्ष पेश वादपत्र में वर्णित अभिवचनों अनुसार वादग्रस्त आराजी के हिस्सों बाबत बिना घोषणा करवाये अदालत मातहत बंटवाड़ा बाबत निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने हेतु कानूनन कत्तई अधिकृत नहीं थीं। क्योंकि रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद के कपद संख्या 02 में वर्णित कथनानुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 321 के हिस्से कत्तई नहीं बनते हैं एवं न ही हिस्से बाबत् जिक्र है। जिस बाबत रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 द्वारा वादपत्र के जरिये हिस्से की घोषणा की। दादरसी प्राप्त करने के बाद ही बंटवाड़ा की दादरसी प्राप्त करने हेतु अधिकृत था तथा अदालत मातहत भी हिस्से की घोषणा के पश्चात ही बंटवाड़ा की डिक्री पारित करने हेतु अधिकृत थीं। जिस कानून की अहम स्थिति को अदालत मातहत द्वारा बिना गौर किये एवं कानून का मजाक बनाते हुये अभिवचनों के आधार पर बिना तनकियात कायम किये एवं बिना साक्ष्य लेखबद्ध कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये मात्र रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 द्वारा खिलाफ कानून पेश वादपत्र के साथ अनुसूची–अ को साक्ष्य सबूत के अभाव में अहम सत्य मानते हुये खसरा नम्बर 321 के हिस्सा विशेष की भूमि रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 को निर्णय व डिक्री जैर अपील के जरिये बंट में देने में अदालत मातहत ने गम्भीर त्रुटि की हैं। जबकि अदालत मातहत वादग्रस्त आराजी बाबत बंटवाड़ा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अलग–अलग दिया जाना कानून की मंशा अनुसार आवश्यक था। जिससे अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1997 के नियम 18 से 21 की अवहेलना करते हुये पारित की गई हैं। जिस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.07.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 07.10.2020 को अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 05.01.2021 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.10.2020 कोरोनाकाल में पारित की गई। जो अपीलांट्स की गैर मौजूदगी में पारित की गई। जो कानूनन शून्य होने से म्याद का बंधन लागू नहीं होता है। अपीलांट्स को निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी दिनांक 11.11.2020 को होने से नकल आदि प्राप्त कर रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2020 को पेश किया। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 9, 15, 19, 20 व 21 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 13.12.2019 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा पैरवी की जाती रही हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार तथा निर्णित प्रकरण की अपीलांट्स को बखूबी जानकारी थीं। अपीलांट्स द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कोविड लॉकडाउन की अवधि में पारित किया गया है, जो शून्य है। जबकि कोविड के कारण वर्ष 2020 में चार चरणों में लॉकडाउन जारी रहा, जो निम्नानुसार हैः–

ए. प्रथम चरण – 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020

बी. द्वितीय चरण – 15 अप्रैल से 3 मई 2020

सी. तृतीय चरण – 4 मई से 17 मई 2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जालोरी

Scanned with OKEN Scanner

डी. चतुर्थ चरण – 18 मई से 31 मई 2020

1 जून के पश्चात अनलॉक पीरियड रहा है तथा उक्त अवधि में न्यायिक कार्य निष्पादन में किसी प्रकार की रोक आदि नहीं रही तथा न ही अपीलांट्स प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजात पेश किए। अतः अपीलांट्स का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। लेकिन चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. खातेदारी आराजी के विभाजन में वस्तुतः सहखातेदारान के हिस्सों का निर्धारण व आराजी का मौके व रेकर्ड में हिस्सानुरूप विभाजन अपेक्षित होता है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदारान के मध्य हिस्से को लेकर किसी प्रकार का विवाद होना जाहिर नहीं किया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन बाबत डिक्री पारित की गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार सहमति के अभाव में न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन डिक्री के माध्यम से किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्तावित किया गया है। जिसकी पालना में विभाजन प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अनुपालना करते हुए अपेक्षित होता है। अतः इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की हैं। अतः अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2019 बअनवान विक्रम विश्नोई बनाम जीवनसिंह के का.मु. ललितकिशोर वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.10.2020 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner